

प्रदेश में तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी मल्लिगा सुवधियों का लाभ

चर्चा में क्यों?

28 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोट ने प्रदेश में तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय सुवधियों का लाभ देने के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बढि

- प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल (वीरता) धारकों को 6 लाख रुपए नकद एवं 25 बीघा सचिती भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद दधि जाएंगे।
- इसी प्रकार, तटरक्षक मेडल (वीरता) धारकों को 30 हजार रुपए नकद एवं 25 बीघा सचिती भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नकद राशि दी जाएगी। पदकधारकों को ये लाभ 26 जनवरी, 1990 से देय होंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/soldiers-decorated-with-tatrakshak-medal-will-also-get-the-facilities-in-the-state>

